कार्यालय ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी

सावर्जनिक सूचना

योग्य उम्मीदवारों से तदर्थ आधार पर क्लर्क के 34 पदों के लिए क्लर्क के न्यूनतम वेतनमान अर्थात रु 25500/- प्रति माह पर छह महीने की अवधि के लिए या माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्लर्क के उपरोक्त पदों का श्रेणी अनुसार आरक्षण विवरण निम्नानुसार है: -

सामान्य	सामान्य-पूर्व सैनिक	सामान्य-शारीरिक विकलांग	एससी	बीसी-ए	बीसी-ए पूर्व सैनिक	बीसी-बी	बीसी-बी पूर्व सैनिक
18	01	01	06	04	01	02	01

नोट:- चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले रिक्तियों की संख्या न्यायालयों की बढत या घटत के अनुसार उम्मीदवारों को बिना कोई पूर्व सूचना दिये किसी भी समय बढाई या घटाई जा सकती है।

1. आयु सीमा:-
   किसी भी व्यक्ति को सेवा में भर्ती नहीं किया जाएगा यदि वह 01.01.2020 को 18 वर्ष से कम आयु का है या 42 वर्ष से अधिक आयु का है, बशर्ते कि ऊपरी आयु सीमा में छूट आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय, चंडीगढ़/ या हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार मान्य होगी।

2. योग्यता:-
   कोई भी अभ्यर्थी क्लर्क के पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन के लिए तभी पात्र होगा जब उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या उसके समकक्ष योग्यता हो और उसने दसवीं की परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

3. चयन का तरीका:-
   आवेदकों को निम्नलिखित विषयों में एक लिखित परीक्षा देनी होगी: -

स.	विषय	अधिकतम अंक	अहर्क अंक
1	अँग्रेजी रचना	50	33%
2	सामान्य ज्ञान	50	33%

किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लिखित परीक्षाओं में कुल 40% अंक प्राप्त नहीं करता और कंप्यूटर के संचालन (वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट) में प्रवीणता नहीं रखता।

तत्पश्चात, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल अभ्यर्थियों में से, उद्देशित चयन के लिये बनाई जाने वाली चयन समिति द्वारा तय किए गए अभ्यर्थियों की संख्या को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (word processing and spreadsheet) में अभ्यर्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिये बुलाया जा सकता है, जो अनिवार्य है लेकिन इस कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा

के अंकों को अंतिम योग्यता के लिए नहीं गिना जाएगा क्योंकि यह परीक्षा केवल उत्तीर्ण करनी होगी। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में भाग-I में वर्ड प्रोसेसिंग शामिल होगा और भाग-II में उम्मीदवारों को स्प्रेडशीट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उनको उद्देशित चयन के लिये बनाये जाने वाली चयन समिति द्वारा निर्धारित उमीदवारों की संख्या के आधार पर मूल प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया जाएगा।

तत्पश्चात, लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जाएगी। योग्यता में उच्च आये उम्मीदवारों को रिक्त पदों की संख्या के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

4. <u>अंतिम तिथि:-</u>

   आवेदन दस्ती, डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अधोहस्ताक्षरी यानि कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, भिवानी के कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03.12.2020 अपराह्न 05:00 बजे तक है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों को बिना किसी पत्राचार के सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। डाक प्राधिकरणों के द्वारा हुआ विलम्ब निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने का आधार नहीं होगा। यदि आवेदन दस्ती प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार/व्यक्ति को COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियातन तौर पर भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों/सलाह(instructions) जैसे कि मास्क, हैंड सैनिटाईजर एवं 6 फुट की सामाजिक दूरी आदि उपायों का पालन करना होगा।

5. <u>परीक्षा की तिथि:-</u>

   लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा की तिथि और स्थान यथासमय इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/bhiwani/recruitment पर सूचित किया जाएगा और उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए आवेदकों को अलग से निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

6. <u>महत्वपूर्ण निर्देश:-</u>

   i. आवेदन पत्र इस कार्यालय की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/bhiwani/recruitment से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर जमा करना होगा।

   ii. राजपत्रित अधिकारी से विधिवत रूप से सत्यापित एक नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ को दिए गए स्थान में आवेदन पत्र पर चिपकाना होगा और शैक्षिणीक दस्तावेजों और श्रेणी, अनुभव आदि के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के समय अपना मूल पहचान प्रमाण लाना होगा।

   iii. एक उम्मीदवार, चाहे वह सामान्य या आरक्षित श्रेणी का हो, केवल एक आवेदन जमा कर सकता है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, उसके सभी आवेदन खारिज किये जा सकते है।

iv. किसी भी तरीके से अपूर्ण आवेदन को संबंधित उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

v. आयु और आरक्षण में छूट का लाभ अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को नहीं दिया जाएगा।

vi. केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से आवेदक परीक्षा के लिए बुलाये जाने का हकदार नहीं होगा। इस कार्यालय को विज्ञापन में दी गई चयन प्रक्रिया एवं किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने का अधिकार होगा।

vii. आरक्षण के दावे के लिए प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए। प्रासंगिक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अलावा आरक्षण का दावा करने वाला उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास/निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

viii. एक बार उम्मीदवारों द्वारा भरी गई श्रेणी को अंतिम माना जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ix. आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी सभी शैक्षिक और अन्य योग्यताओं का खुलासा करना होगा। गैर-प्रकटीकरण संबंधित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करेगा और वह कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

x. परिणाम केवल वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/bhiwani/recruitment पर प्रदर्शित किया जाएगा।

xi. मांग करने पर अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों को पेश करना होगा।

xii. लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के दौरान मोबाइल और अन्य सामान को परीक्षा केंद्रों में ले जाने की किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiii. परीक्षा में उपस्थित होने और मूल प्रमाणपत्र आदि की जांच के लिए हाजिर होने के लिये आवेदकों को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

हस्ता/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भिवानी।